"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 नवम्बर 2012—कार्तिक 28, शक 1934

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-16/2011/स.क./26.—छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्र. 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(ख) "आयुक्त/संचालक" से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;"

2. नियम 2 का खण्ड (ग) विलोपित किया जाए.

3. नियम 2 के खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(छ) "प्रायोजक" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय या राज्य विधि के अधीन गठित या पंजीकृत कोई न्यास/प्राधिकरण/निकाय;"

4. नियम 2 के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
   "(ज) "निराश्रित निधि" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अधीन संग्रहित रकम."

5. नियम 3 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) निराश्रित छत्तीसगढ़ का निवासी होगा."

6. नियम 3 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिये "वृद्ध एवं शिथिलांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा वृद्ध एवं शिथिलांग व्यक्ति, जिसने साठ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो."

7. नियम 3 के उप-नियम (2) का स्पष्टीकरण विलोपित किया जाए.

8. नियम 3 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम (3) एवं (4) अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(3) विधवा या तलाकशुदा महिला या ऐसी महिला, जिसके प्रति क्रूरता की गई हो, जो स्थानीय क्षेत्र में निवास के साथ ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करती हो, तो वह नियम 3 के प्रयोजनों के लिये निराश्रित होगी."

(4) "नक्सली हिंसा से प्रभावित बच्चे."

9. नियम 4 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, कलेक्टर उसे अपनी अनुशंसा सहित आयुक्त/संचालक समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को अग्रेषित करेगा."

10. नियम 5 के उप-नियम (2) में, शब्द "जिला योजना समिति" के स्थान पर शब्द "जिला कलेक्टर" प्रतिस्थापित किया जाए.

11. नियम 6 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) उप-नियम (1) के अधीन सन्निर्मित किये जाने वाले भवन का ब्ल्यूप्रिंट, डिजाइन तथा सुनिश्चितता (स्पेसिफिकेशन) जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित की जायेगी तथा भवन का डिजाइन इस तरीके से किया जाएगा, जिसमें पहुंच बाधारहित हो. भवन के सन्निर्माण हेतु अधिकतम 15.00 लाख रु. स्वीकृत किए जाएंगे."

12. नियम 6 के उप-नियम (3) एवं (4) में, शब्द "जिला योजना समिति" के स्थान पर शब्द "जिला कलेक्टर" प्रतिस्थापित किए जाएं.

13. नियम 7 में जहां कहीं शब्द "जिला योजना समिति" आए हों, के स्थान पर शब्द "जिला कलेक्टर" प्रतिस्थापित किया जाए.

14. नियम 8 के उप-नियम (2) में, शब्द तथा अंक "रुपये 1000" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "रुपये 2000/- (दो हजार रुपये)" प्रतिस्थापित किए जाएं.

15. (एक) नियम 9 के उप-नियम (3) के खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(iv) समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय का जिला अधिकारी."

(दो) नियम 9 के उप-नियम (3) के खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(v) प्रायोजक या उसका प्रतिनिधि."

16. नियम 10 के उप-नियम (1) में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "राज्य शासन" प्रतिस्थापित किया जाए.

17. नियम 10 के उप-नियम (2) के खण्ड (एक) में, शब्द "जिला योजना समिति" के स्थान पर, शब्द "आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जाए.

18. नियम 10 के उप-नियम 2 का खण्ड (दो) विलोपित किया जाये.

19. नियम 10 के उप-नियम (7) में, शब्द "अधिकतम प्रतिवर्ष रुपये 1000" का लोप किया जाए.

20. नियम 11 के खण्ड (ख) में शब्द "किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53)" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)" प्रतिस्थापित किया जाए.

21. नियम 11 के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) पुनर्वास शिविरों का आयोजन, चिकित्सीय सर्जरी, निराश्रितों के लिये कृत्रिम अंग व उपकरण प्रदान करना, निराश्रितों के कल्याणार्थ जागरूकता अभियान तथा जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र चलाना."

22. नियम 11 के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(घ) निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्यशाला, सेमिनार, प्रदर्शनी अध्ययन, शोध, शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रम का आयोजन. आवश्यकतानुसार चलित इकाईयों की स्थापना, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार चलित इकाईयों की मरम्मत एवं ईधन की प्रतिपूर्ति."

23. नियम 11 के खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ) निराश्रितों और निर्धन व्यक्तियों के कल्याण तथा पुनर्वास हेतु :—

(एक) नि:शक्त व्यक्तियों के लिये खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करना तथा प्रतियोगियों की भागीदारी संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति करना.

(दो) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय संस्थाओं की अधोसरंचना विकास एवं अन्य आवश्यक व्ययों की पूर्ति करना.

(तीन) निराश्रितों एवं निर्धनों के निर्माण सामर्थ्य के लिए अन्य कार्यक्रम.

(चार) निराश्रित निधि के संधारण हेतु आवश्यकता अनुसार प्रशासकीय व्यय.

(पांच) गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बालिकाओं के लाभ के लिए विशेष योजनाएं.

(छ:) राज्य सलाहकार समिति द्वारा संस्तुत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यय."

24. नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"12. (1) कलेक्टर, नियम 11 में यथा विनिर्दिष्ट निराश्रित निधि के प्रयोजनों के लिये दो लाख रुपये की सीमा तक ब्याज की राशि का स्वयं उपयोग कर सकेगा;

(2) निराश्रित निधि की मूल रकम के लिये, कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, आयुक्त/संचालक द्वारा 10 लाख रुपये की सीमा तक मंजूरी दी जा सकेगी तथा 10 लाख रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति के लिए स्वीकृति प्राधिकारी समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन होगा."

25. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"13. (1) किसी अंत:वासी की मृत्यु होने की दशा में, उसका शव उसके परिवार के सदस्यों को या उसके निकटतम संबंधी को सौंप दिया जाएगा :

परन्तु यदि सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी 24 घंटे के भीतर शव प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आता है या निराश्रित के परिवार का कोई सदस्य या संबंधी नहीं हैं, तो आश्रम में उपलब्ध निधि से उसकी अंत्येष्टि उसके धर्म के अनुसार की जाएगी.

(2) कलेक्टर द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति के शव की अंत्येष्टि हेतु, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो निराश्रित निधि से आवश्यकतानुसार व्यय हेतु स्वीकृति दी जा सकेगी."

26. नियम 14 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) आश्रम के उचित पर्यवेक्षण, नियंत्रण, तथा प्रबंधन के लिये, आश्रम की आवश्यकता अनुसार कलेक्टर निम्नलिखित पदों को संविदा पर भरे जाने हेतु अग्रसर हो सकेगा :—

(1) प्रबंधक/अधीक्षक;

(2) अंशकालिक चिकित्सक;

(3) सामाजिक कार्यकर्ता;
(4) अंशकालिक फिजियोथेरापिस्ट/आक्यूपेशनल थेरापिस्ट;
(5) शिक्षक;
(6) तकनीकी प्रशिक्षक;
(7) ड्राइंग शिक्षक;
(8) संगीत शिक्षक;
(9) व्यावसायिक प्रशिक्षक;
(10) कम्प्यूटर आपरेटर;
(11) लेखापाल-सह-लिपिक;
(12) भृत्य-सह-चौकीदार;
(13) आया/परिचारक;
(14) रसोईया;
(15) रसोईए का सहायक;
(16) स्वीपर."

27. नियम 14 के उप-नियम (3) में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर, शब्द "राज्य शासन/कलेक्टर" प्रतिस्थापित किए जाए.

28. नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"17. **राज्य योजना क्रियान्वयन समिति,—** निराश्रित निधि से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सलाहकार समिति के अधीन निम्नानुसार राज्य योजना क्रियान्वयन समिति गठित की जायेगी :—

1.	आयुक्त/संचालक समाज कल्याण	—	अध्यक्ष
2.	संयुक्त संचालक, समाज कल्याण	—	सदस्य-सचिव
3.	उप संचालक, समाज कल्याण	—	सदस्य
4.	राज्य सलाहकार समिति से मनोनीत एक अशासकीय सदस्य	—	सदस्य"

29. नियम 18 में शब्द "जिला योजना समिति" के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना क्रियान्वयन समिति" प्रतिस्थापित किया जाए.

30. नियम 19 में शब्द "जिला योजना समिति" के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना क्रियान्वयन समिति" प्रतिस्थापित किया जाए.

31. नियम 20 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(5) राज्य स्तर पर, राज्य निराश्रित निधि स्थापित की जाएगी, जो आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण द्वारा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन प्रवर्तित की जाएगी.

(6) जिला स्तर पर संग्रहित की गई निराश्रित निधि की रकम का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष राज्य निराश्रित निधि में जमा किया जाएगा.

(7) राज्य निराश्रित निधि में प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी की गई सूची के बैंक में, प्रशासकीय निकायों द्वारा शासन की अतिरिक्त/उपलब्ध कोष का विनियोजन किए जाने के प्रयोजन हेतु जमा की जाएगी."

32. नियम 21 के उप-नियम (2) एवं (3) में, शब्द "जिला योजना समिति" के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना क्रियान्वयन समिति" प्रतिस्थापित किया जाए.

33. प्ररूप-1 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (ख) में, शब्द "ज़िला योजना समिति" के स्थान पर, शब्द "राज्य योजना क्रियान्वयन समिति" प्रतिस्थापित किया जाए.

Raipur, the 25th October 2012

NOTIFICATION

No. F 1-16/2011/S.W./26.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 (No. 12 of 1970), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Niyam, 1999, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (b) of Rule 2, the following shall be substituted, namely :—
   "(b) "Commissioner/Director" means the Commissioner/Director or any other officer authorized by the State Government for this purpose;"

2. Clause (c) of Rule 2 shall be omitted.

3. For clause (g) of Rule 2, the following shall be substituted, namely :—
   "(g) "Sponsor" means any Trust/Authority/Body constituted or registered under the Central or State law;"

4. After clause (g) of Rule 2, the follwong clause shall be added, namely :—
   "(h) "Destitute fund" means the amount collected under the provisions of Section 4 of the Act."

5. For sub-rule (1) of Rule 3, the following shall be substituted, namely :—
   "(1) The destitute shall be resident of Chhattisgarh."

6. For sub-rule (2) of Rule 3, the following shall be substituted, namely :—
   "(2) For the purposes of clause (a) of Section 2 of the Act, "old and infirm person" means old and infirm person having attained the age of sixty years."

7. Explanation to sub-rule (2) of Rule 3 shall be omitted.

8. After sub-rule (2) of Rule 3, the following sub-rule (3) and (4) shall be inserted, namely :—
   "(3) A widow or a divorcee or a woman subjected to cruelty, fulfilling such requirements including that of residence in a local area shall be a destitute for the purposes of Rule 3.

   (4) Children affected by naxal violence."

9. For sub-rule (3) of Rule 4, the following shall be substituted, namely :—
   "(3) On receipt of application under sub-rule (2), the Collector shall forward the same with recommendation to Commissioner/Director Social Welfare Chhattisgarh."

10. In sub-rule (2) of Rule 5, for the words "District Planning Committee" the words "District Collector" shall be substituted.

11. For sub-rule (2) of Rule 6, the following shall be substituted, namely :—
   "(2) Blue print design and specification of the building to be constructed under sub-rule (1) shall be approved by the District Collector and the building shall be designed in such manner, in which access shall be barriar free. Maximum Rs. 15 lacs shall be sanctioned for construction of building."

12. In sub-rule (3) and (4) of Rule 6, for the words "District Planning Committee", the words "District Collector" shall be substituted.

13. In Rule 7, for the words "District Planning Committee" wherever it occurs, the words "District Collector" shall be substituted.

14. In sub-rule (2) of Rule 8, for the word and figure "Rs. 1000" the words and figure "Rs. 2000/- (Rupees two thousand)" shall be substituted.

15. (1) For clause (iv) of sub-rule (3) of Rule 9, the following shall be substituted, namely :—
"(iv) The District Officer of the District Office of the Social Welfare Department."

(2) After clause (iv) of sub-rule (3) of Rule 9, the following clause shall be added, namely :—
"(v) Sponsor or his representative."

16. In sub-rule (1) of Rule 10, for the word "Collector" the words "State Government" shall be substituted.

17. In clause (i) of sub-rule (2) of Rule 10, for the words "District Planning Committee" the words "Commissioner/Director, Social Welfare Chhattisgarh" shall be substituted.

18. Clause (ii) of sub-rule (2) of Rule 10 shall be omitted.

19. In sub-rule (7) of Rule 10, the words "subject to a maximum of Rs. one thousand per year" shall be omitted.

20. In clause (b) of Rule 11, for the words "Juvenile Justice Act, 1986 (No. 53 of 1986)" the words and figures "Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000)" shall be substituted.

21. For clause (c) of Rule 11, the following shall be substituted, namely :—
"(c) Organisation of Rehabilitation Camps, medical/surgery, providing artificial limb and equipment for destitute, awareness campaign for welfare of destitute and running of District Disabled Rehabilitation Centers."

22. For clause (d) of Rule 11, the following shall be substituted, namely :—
"(d) Organisation of workshop, seminar, exhibition study, research education and other programmes for the welfare of destitute. Setting up of mobile units as per requirement, maintenance and reimbursement of fuel of mobile units as per directions of State Government issued from time to time."

23. After clause (f) of Rule 11, the following clause shall be inserted, namely :—
"(g) for the welfare and rehabilitation of destitute and poor persons :—
(i) Organising sports competitions for disabled and reimbursement of expenditure regarding participation of participants.

(ii) To meet the expenditure of infrastructural development and other necessary expenditure of Government institutions run by Social Welfare Department.

(iii) Other programmes for capacity building of destitute and poor.

(iv) Administrative expenditure as per requirement for maintenance of Nirashrit nidhi.

(v) Special Schemes for the benefit of girls belonging to families below poverty line.

(vi) Expenditure for the implementation of the schemes recommended by the State Advisory Committee."

24. For Rule 12, the following shall be substituted, namely :—
"12. (1) The Collector may himself utilize of the amount of interest to the extent of Rs. Two lacs for the purpose of Nirashrit Fund as Specified in Rule 11;

(2) For the principal amount of destitute fund, Commissioner/Director can sanction upto Rs. Ten lacs after receiving proposal from Collector and for the amount above Rs. Ten lacs the sanctioning authority shall be Social Welfare Department of Chhattisgarh Government."

25. For Rule 13, the following shall be substituted, namely :—
"13. (1) In the event of death of any inmate, his dead body shall be handed over to his family members or to his nearest relative:

Provided that if no person comes to take over the dead body within 24 hours after receiving the intimation or there be no family member or relative of the destitute, his funeral may be performed according to his religion from the fund available in the home.

(2) The Sanction for the expenditure as per requirement from the Nirashrit Fund may be given by the Collector for the funeral of the body of any person who is living below the poverty line."

26. For sub-rule (1) of Rule 14, the following shall be substituted, namely :—

"(1) For proper supervision, control and management of the Home, the Collector may proceed to fill the following posts on contract as per the requirement of the Home :—

(1) Manager/Superintendent;
(2) Part-time Physician;
(3) Social Worker;
(4) Part-time Physiotherapist/Occupational Therapist;
(5) Teacher;
(6) Technical Trainer;
(7) Drawing Teacher;
(8) Music Teacher;
(9) Vocational Trainer;
(10) Computer Operator;
(11) Clerk-cum-Accountant;
(12) Peon-cum-Chaukidar;
(13) Aya/Attendant;
(14) Cook;
(15) Helper to cook;
(16) Sweeper."

27. In sub-rule (3) of Rule 14, for the word "Collector" the words "State Government/Collector" shall be substituted.

28. For Rule 17, the following shall be substituted, namely :—

"17. **Rajya Yojana Kriyanvayan Samiti.**— For implementation of schemes from Nirashrit Nidhi there shall be constituted Rajya Yojana Kriyanvayan Samiti under State Advisory Committee as follows—

1.	Commissioner/Director, Social Welfare	—	Chairperson
2.	Joint Director, Social Welfare	—	Member-Secretary
3.	Deputy Director, Social Welfare	—	Member
4.	One non-official member Nominated from State Advisory Committee.	—	Member"

29. In Rule 18, for the words "District Planning Committee" the words "Rajya Yojana Kriyanvayan Samiti" shall be substituted.

30. In Rule 19, for the words "District Planning Committee" the words "Rajya Yojana Kriyanvayan Samiti" shall be substituted.

31. After sub-rule (4) of Rule 20, the following sub-rules shall be added, namely :—

"(5) At the State level, there shall be established a State Destitute fund, which shall be operated by Commissioner/Director Social Welfare under the provisions of the Act and Rules made thereunder.

(6) 20% of the amount of destitute fund collected at district level shall be deposited in State Destitute Fund every year.

(7) The amount received in State Destitute Fund shall be deposited in a Bank from the list issued by Government of Chhattisgarh, Department of Finance for the purpose of depositing additional/available fund of government by the administrative bodies."

32. In sub-rule (2) and (3) of Rule 21, for the words "District Planning Committee" the words "Rajya Yojana Kriyanvayan Samiti" shall be substituted.

33. In sub-clause (b) of clause 2 of FORM 1, for the words "District Planning Committee" the words "Rajya Yojana Kriyanvayan Samiti" Shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.